

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- ई-33/नेत्र सहा0/एम 123/2018/ 338

दिनांक : 21/8/2018

**आदेश**

निदेशालय के आदेश क्रमांक:ई-33/नेत्र सहायक/सीधी भर्ती/2015/366 दिनांक 3.9.2015 के द्वारा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनस्थ सेवा नियम 1965 के अन्तर्गत नेत्र सहायको को नियुक्ति प्रदान की गई थी। श्री प्रहलाद सिंह, नेत्र सहायक जिन्होंने दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि (Probation Period) संतोषजनक रूप से पूर्ण करली है एवं उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश/अनुपस्थित नही रहे है तथा कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद पाये जाने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनस्थ सेवा नियम 1965 के तहत एतद् द्वारा स्थाईकरण किया जाता है। इन्हे निम्नानुसार परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने की दिनांक से वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक:एफ.15(1)/एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 9.12.2017 के अनुसरण में पद के पे मेट्रिक्स के लेवल 5 का न्यूनतम वेतन 20800/- रुपये एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे :-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पदस्थापन जिला	जन्म दिनांक	कार्य ग्रहण दिनांक	प्रोबेशन पूर्ण करने की दिनांक	नियत वेतनमान दिये जाने की दिनांक
1	श्री प्रहलाद सिंह	चूरु	1.1.78	29.9.2015	28.9.2017	29.9.2017

उपरोक्त कर्मचारी का वेतन नियतन संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जावेगा एवं आदेश की पालना वित्त विभाग की अधिसूचना सं. एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 9.12.2017 में उल्लेखित निर्देशानुसार/प्रावधानुसार किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राज. जयपुर

क्रमांक:- ई-33/नेत्र सहा./एम 123/2018/ 338

दिनांक : 21/8/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ़ जिला चूरु।
2. कनिष्ठ विशेषज्ञ, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सालासर, चूरु।
3. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को संबंधित अधिकारी की ईमेल एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राज. जयपुर